न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादीगण :–

1. घनश्याम पुत्र पूरणमल जाति रैगर निवासी इन्द्र कॉलोनी अजमेर
2. कमला देवी पत्नी पूरणमल जाति रैगर निवासी इन्द्र कॉलोनी अजमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. ओमप्रकाश खोरवाल पुत्र हजारीलाल जाति रैगर निवासी पीह
2. कमला देवी पत्नी ओगडराम जाति मेघवाल निवासी रघुनाथपुरा
3. चूका देवी पत्नी हजारीलाल जाति रैगर निवासी पीह
4. नर्बदा पुत्री हाथीराम जाति रैगर निवासी पीह
5. पप्पूराम पुत्र चोथाराम जाति रैगर निवासी पीह
6. परसाराम पुत्र हरलाल जाति रैगर निवासी पीह
7. ब्रजेश कुमार पुत्र नारायणराम जाति रैगर निवासी पीह
8. बिदामी पत्नी हाथीराम जाति रैगर निवासी पीह
9. बिन्दु परीहार पुत्री किस्तूरचन्द जाति दमामी निवासी देवलीकलातह रायपुर पाली,
10. भंवरलाल पुत्र चोथाराम जाति रैगर निवासी पीह
11. मुकेश कुमार खोरवाल पुत्र हजारीलाल जाति रैगर निवासी पीह
12. मनोज कुमार खोरवाल पुत्र हजारीलाल जाति रैगर निवासी पीह
13. रामजीवणी पुत्र हरलाल जाति रैगर निवासी पीह
14. लक्ष्मणराम पुत्र नारायण जाति रैगर निवासी पीह
15. हनुमान पुत्र हाथीराम जाति रैगर निवासी पीह
16. हीरा पुत्र आशा जाति रैगर निवासी पीह
17. सूरमा पत्नी दातार चौहान जाति बावरी निवासी भगवानपुरा, बागपुरा, अजमेर
18. छोटी पुत्री हाथीराम जाति रैगर निवासी पीह
19. प्रेम पुत्री हाथीराम जाति रैगर निवासी पीह
20. भंवरलाल पुत्र जयराम जाति मेघवाल निवासी पीलवा
21. सुनिता देवी पत्नी घनश्याम मोनपुरिया जाति रैगर निवासी मीर शाली जयपुर रोड़ अजमेर
22. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :– बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राघव शर्मा अधिवक्ता वादी,

श्री भवानी सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी 9,17, 21

मुकदमा नम्बर :– 2025/79 निर्णय दिनांक :– 26.05.2025

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम पीह तहसील परबतसर के खाता संख्या 614 खसरा नम्बर 2098/1795 रकबा 17.0500 हैक्टर व खसरा नम्बर 2099/1795 रकबा 2.3600 हैक्टर कुल रकबा 19.4100 हैक्टर व खाता संख्या 613 खसरा नम्बर 1841 रकबा 3.6000 हैक्टर आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण संख्या 1 का खाता संख्या 614 में 14/1941 व वादी संख्या 2 का 127/1941 हक हिस्सा व खाता संख्या 613 में वादी संख्या 1 का 203/36000 व वादी संख्या 2 का 599/12000 हक

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

हिस्सा आया हुआ है जिस पर वादीगण लगातार काबिज चले आ रहे है तथा काश्त करते आ रहे है। वादीगण अपने हक हिस्से में आयी कृषि भूमि का लगातार निर्बाध रूप से उपयोग–उपभोग करते आ रहे है तथा लगातार काश्त करते व करवाते आ रहे है जिसमें पुख्ता तार बंदी की हुई है तथा मौके की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस वाद के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' पेश किया है जिसमें वादी के हिस्से को मार्क एबीसीडी से दर्शित किया गया है तथा मुख्य सड़क से वादीगण के हिस्से में आने–जाने हेतु 18 फुट का रास्ता छोड़ा हुआ है उसके अनुसार ही रास्ते का उपयोग उपभोग निरन्तर करते आ रहे है। वर्तमान में प्रतिवादीगण की नियत में फितूर आ गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपना हिस्सा अजनबी क्रेता को बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादीगण के हिस्से में जो कृषि भूमि आयी हुई है उसे अंकित करते हुए बेचान की धमकीया लगातार वादीगण को दे रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादी के हिस्से की कृषि भूमि का बैचान करने की धमकी देने पर वादी ने सभी काश्तकारों से मिलकर आपसी सहमति से वर्षों पूर्व किये गये बंटवारे के आधार पर प्रतिवादी तहसीलदार भूमिधारी से बंटवारा करवाने का कहॉ लेकिन प्रतिवादीगण आनाकानी कर रहे है इस कारण वादीगण को मजबूरन वर्षों पूर्व हो रखे बंटवारे के अनुसार ही वादीगण को हक हिस्सा अनुसार बंटवारा करवाने की इस्तदुआ चाही है।

दावा वकील वादी द्वारा पेश करने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 8, 10 से 16, 18 से 20 के विधिवत रूप से तामिल सुदा प्राप्त होने व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 22 का नोटिस विधिवत तामिल सुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 9, 17, 21 ने जरिये अधिवक्ता इकबालिया जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपने हक हिस्से अनुसार बंटवारा करवाने का निवेदन किया है। इस प्रकार बकाया प्रतिवादीगण का इकबालिया जवाब पेश होने पर पत्रावली साक्ष्य वादी में तलब की गई। साक्ष्य वादी में वादी घनश्याम का शपथ–पत्र पेश किया और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद का समर्थन करते हुए वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किये जाने का निवेदन किया व वकील प्रतिवादी संख्या 9, 17, 21 के वकील ने काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाने का निवेदन किया जिस पर वकील वादी द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है तो वादी व प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज माफिक मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर मंगवाया जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

गया तो वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। वादी का वाद बंटवारे का होने के कारण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार परबतसर द्वारा पत्रांक भू0अ/2025/1001 दिनांक 23.05.2025 द्वारा उभय पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जिसका अवलोकन कर उभय पक्षकारों की अधिवक्ता ने सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जाकर अलग–अलग होल्डिंग कायम किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है।

अतः वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम पीह तहसील परबतसर के खाता संख्या 614 खसरा नम्बर 2098/1795 रकबा 17.0500 हैक्टर व खसरा नम्बर 2099/1795 रकबा 2.3600 हैक्टर कुल रकबा 19.4100 हैक्टर व खाता संख्या 613 खसरा नम्बर 1841 रकबा 3.6000 हैक्टर भूमी का तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

(रामकुमार टाडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

डिक्री मुकदमां इब्लाहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी परबतसर, जिला (डीडवाना–कुचामन), राज.**

वादीगण :–

1. घनश्याम पुत्र पूरणमल जाति रैगर निवासी इन्द्र कॉलोनी अजमेर
2. कमला देवी पत्नी पूरणमल जाति रैगर निवासी इन्द्र कॉलोनी अजमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. ओमप्रकाश खोरवाल पुत्र हजारीलाल जाति रैगर निवासी पीह
2. कमला देवी पत्नी ओगडराम जाति मेघवाल निवासी रघुनाथपुरा
3. चूका देवी पत्नी हजारीलाल जाति रैगर निवासी पीह
4. नर्बदा पुत्री हाथीराम जाति रैगर निवासी पीह
5. पप्पूराम पुत्र चोथाराम जाति रैगर निवासी पीह
6. परसाराम पुत्र हरलाल जाति रैगर निवासी पीह
7. ब्रजेश कुमार पुत्र नारायणराम जाति रैगर निवासी पीह
8. बिदामी पत्नी हाथीराम जाति रैगर निवासी पीह
9. बिन्दु परीहार पुत्री किस्तूरचन्द जाति दमामी निवासी देवलीकलातह रायपुर पाली,
10. भंवरलाल पुत्र चोथाराम जाति रैगर निवासी पीह
11. मुकेश कुमार खोरवाल पुत्र हजारीलाल जाति रैगर निवासी पीह
12. मनोज कुमार खोरवाल पुत्र हजारीलाल जाति रैगर निवासी पीह
13. रामजीवणी पुत्र हरलाल जाति रैगर निवासी पीह
14. लक्ष्मणराम पुत्र नारायण जाति रैगर निवासी पीह
15. हनुमान पुत्र हाथीराम जाति रैगर निवासी पीह
16. हीरा पुत्र आशा जाति रैगर निवासी पीह
17. सूरमा पत्नी दातार चौहान जाति बावरी निवासी भगवानपुरा, बागपुरा, अजमेर
18. छोटी पुत्री हाथीराम जाति रैगर निवासी पीह
19. प्रेम पुत्री हाथीराम जाति रैगर निवासी पीह
20. भंवरलाल पुत्र जयराम जाति मेघवाल निवासी पीलवा
21. सुनिता देवी पत्नी घनश्याम मोनपुरिया जाति रैगर निवासी मीर शाली जयपुर रोड़ अजमेर
22. तहसीलदार परबतसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन)

दावा बाबत् :– बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राघव शर्मा अधिवक्ता वादी,

श्री भवानी सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी 9,17, 21

मुकदमा नम्बर :– 2025/79 निर्णय दिनांक :– 26.05.2025

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू....... बहाजरी श्री अधिवक्ता वादी श्री राघव शर्मा मिनजानिब व श्री भवानी सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी 9,17, 21 मुदई रूबरू............. मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि :–

कि ग्राम पीह तहसील परबतसर के खाता संख्या 614 खसरा नम्बर 2098/1795 रकबा 17.0500 हैक्टर व खसरा नम्बर 2099/1795 रकबा 2.3600 हैक्टर कुल रकबा 19. 4100 हैक्टर व खाता संख्या 613 खसरा नम्बर 1841 रकबा 3.6000 हैक्टर भूमी का तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.05.2025 को जारी की गई।

मुहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक			स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक		
मीलान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)